VIII मुद्रा प्रबंधन

पिछले वर्षों के दौरान बैंक नोटों और सिक्कों की मांग में काफी वृद्धि हो गई है, भले ही हाल की अवधि में प्रौद्योगिकी के सहारे भुगतान के गैर-नकदी तरीकों का प्रयोग बढ़ा हो। रिज़र्व बैंक ने अपनी स्वच्छ नोट नीति के अनुसरण में उच्च गुणवत्ता वाले बैंक नोटों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सतत प्रयास किए हैं। इसके अलावा, बैंक नोटों के टिकाऊपन को बढ़ाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने भारत के पांच नगरों में ₹10 के प्लैस्टिक बैंक नोटों की प्रायोगिक तौर पर शुरुआत करने की योजना बनाई है। जाली नोटों की चुनौती का सामना करने के लिए रिज़र्व बैंक ने देश के कोने-कोने में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर जन चेतना जगाने की कोशिश की है। रिज़र्व बैंक और भारत सरकार ने संयुक्त रूप से बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं और डिज़ाइन को सुदृढ़ बनाने हेतु कई कदम उठाए हैं।

VIII.1 भारत का केंद्रीय बैंक होने के नाते मुद्रा प्रबंधन रिज़र्व बैंक के प्रमुख कार्यों की श्रेणी में आता है। यद्यपि, सभी मूल्यवर्ग के सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, तथापि उन्हें रिज़र्व बैंक ही संचलन में लाता है। रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 22 के अंतर्गत बैंक नोटों का निर्गम करने वाला एकमात्र प्राधिकरण है। इस अधिनियम के तहत रिज़र्व बैंक को देशभर में बैंक नोटों को उपलब्ध कराने और बैंक नोटों की गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि भुगतान से संबंधित प्रौद्योगिकी-साधित गैर-नकदी प्रणालियों का प्रयोग बढ़ रहा है, फिर भी बैंक नोटों और सिक्कों की मांग बढ़ती जा रही है। रिज़र्व बैंक, बैंक नोटों की मांग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी स्वच्छ नोट नीति के अनुसरण में स्वच्छ बैंक नोटों की अविरत आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। वह बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं को सुदृढ़ बनाने और बैंक नोटों के संबंध में जनजागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इस कार्य हेतु उसने कई जनजागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत की है।

VIII.2 वित्तीय प्रणाली में पर्याप्त मात्रा में बैंक नोटों और सिक्कों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और बैंक नोटों की बेहतर गुणवत्ता व प्रामाणिकता को साकार करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने 2012-13 में कई कदम उठाए। बैंक नोटों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने 2012-13 में नोटों की मांग में वृद्धि की। गंदे व अनुपयुक्त बैंक नोटों को संचलन से निकालकर पर्यावरण-अनुकूल तरीके से, यथा- श्रेडिंग एवं ब्रिक्रेटिंग प्रणाली के माध्यम से नष्ट किया गया। वित्तीय प्रणाली में जाली नोटों की पहचान को सर्वोच्च महत्त्व देने की दृष्टि से बैंकों को अपने यहां प्रयुक्त प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने हेतु निदेश दिए गए। सरकार ने आगे की शृंखला के लिए नई विशेषताओं का चयन करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है और रिज़र्व बैंक इस कार्य में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। साथ ही, रिज़र्व बैंक ने सरकार के साथ परामर्श करके बैंक नोट के डिज़ाइन की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जाली नोटों की रिपोर्टिंग प्रणाली को बढ़ावा देने की दृष्टि से इस कार्य से संबद्ध प्रशासनिक व कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक अपनी स्वच्छ नोट नीति के एक अंश के रूप में बैंक नोटों के टिकाऊपन को बढ़ाने के लिए प्लैस्टिक नोट जैसे अन्य विकल्पों का पता लगा रहा है, जिसे भारत के चुनिंदा शहरों में प्रायोगिक तौर पर संचलन में लाया जाएगा (बॉक्स VIII.1)।

संचलन में बैंक नोट

VIII.3 2012-13 में बैंक नोटों के मूल्य में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो मात्रा में हुई वृद्धि (6.0 प्रतिशत) की तुलना में अधिक है। वर्ष के दौरान संचलन में स्थित बैंक नोटों के कुल मूल्य में ₹ 500 और ₹1,000 का हिस्सा लगभग 83 प्रतिशत था (सारणी VIII.1)।

संचलन में सिक्के

VIII.4 वर्ष 2011-12 की तुलना में 2012-13 में संचलन में स्थित सिक्कों की मात्रा व मूल्य में बढ़ोतरी हुई (सारणी VIII.2)। संचलन में स्थित सिक्कों के कुल मूल्य में 15.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इनकी मात्रा में 8.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई।

बॉक्स VIII.1
प्लैस्टिक बैंक नोट

बैंक नोटों, विशेष रूप से छोटे मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की संचलन-अवधि को बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक भारत सरकार के साथ परामर्श करने के पश्चात् विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिनके अंतर्गत प्लैस्टिक सब्स्ट्रेट पर बैंक नोटों का मुद्रण भी शामिल है। तदनुसार, प्लैस्टिक सब्स्ट्रेट पर ₹ 10 के एक बिलियन बैंक नोट जारी करके पांच नगरों, नामत: जयपुर, भुवनेश्वर, कोच्चि, शिमला और मैसूर में संचलन में लाने का निर्णय लिया गया है। इन नगरों का चयन उनकी भौगोलिक व जल-वायु की विविधतापूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

आस्ट्रेलिया 1988 में पॉलिमर नोटों की शुरुआत करने वाला पहला देश बना। उसके पश्चात् 30 से अधिक देशों ने पॉलिमर बैंक नोटों की शुरुआत कर दी है, जिनमें कई देश ऐसे हैं जो पूरी तरह कागज़ के स्थान पर पॉलिमर का प्रयोग कर रहे हैं। कनाडा हाल में इस सूची में शामिल हुआ है, जहां 20, 50 और 100 कैनेडियन डॉलर मूल्यवर्ग के नोट पहले से संचलन में हैं और 5 और 10 मूल्यवर्ग के नोट नवंबर 2013 में संचलन में लाए जाएंगे।

प्लैस्टिक के लाभ

कागज़ के स्थान पर प्लैस्टिक का प्रयोग किए जाने पर कई लाभ मिलते हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं : सतह मुलायम रहने की वजह से यह अपेक्षाकृत कम गंदा होता है और स्वच्छ रहता है; टिकाऊ रहने की वजह से इस पर कम खर्च आता है; मुद्रण व संचालन के दौरान इनसे बहुत कम धूल निकलती है और रेशे नहीं निकलते हैं; तथा उन नोटों में उपलब्ध कुछ सुरक्षा विशेषताएं ऐसी हैं जिनकी नकल करना कठिन और खर्चीला होता है।

कार्बन फ़ूटप्रिंट

रिज़र्व बैंक ने प्लैस्टिक-आधारित सब्स्ट्रेट की तुलना में रुई-आधारित बैंक नोट पेपर सब्स्ट्रेट के कार्बन फ़ूटप्रिंट का अध्ययन करने तथा उनके समूचे जीवन-चक्रों में पर्यावरण पर पड़ने वाले समग्र प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए द एनर्जी एंड रिसोर्सिज़ इंस्टिट्यूट (टीईआरआई) की सेवाएं लीं। उक्त दोनों प्रकार के नोटों से संबंधित जीवन-चक्र मूल्यांकन के निष्कर्षों से यह पता चला है कि रुई-आधारित नोटों के स्थान पर प्लैस्टिक-आधारित नोटों का प्रयोग किए जाने से ऐसे कई लाभ प्राप्त होंगे, जो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण हैं। पॉलिमर/प्लैस्टिक बैंक नोटों (और इनके उत्पादनजन्य व्यर्थ पदार्थों) को दानेदार बनाया जा सकेगा तथा उन्हें कंपोस्ट बिनों, प्लंबिंग फिटिंगों एवं अन्य घरेलू व औद्योगिक उत्पादों के लिए उपयोगी प्लैस्टिक उत्पाद के रूप में पुन:चक्रित किया जा सकेगा। पॉलिमर की बुनियादी सामग्री एक अनवीकरणीय संसाधन होती है, जिसे बार-बार प्रयोग में लाया जा सकता है।

मुद्रा परिचालन

मुद्रा प्रबंधन का बुनियादी ढांचा

VIII.5 रिज़र्व बैंक मुद्रा (कागज़ी मुद्रा और सिक्के दोनों) के निर्गम संबंधी कार्य और उनका प्रबंधन अपने 18 निर्गम कार्यालयों, लखनऊ स्थित उप कार्यालय, कोच्चि स्थित करेंसी चेस्ट तथा देशभर में स्थित 4,211 करेंसी चेस्टों के नेटवर्क और 3,990 छोटा सिक्के डिपो के माध्यम से पूरा करता है। लगभग सभी करेंसी चेस्टों का प्रबंधन एजेंसी करारों के तहत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा किया

सारणी VIII.1: संचलन में बैंक नोट
(मार्च के अंत में)

मूल्य वर्ग	मात्रा (मिलियन नगों में)			मूल्य (बिलियन ₹)		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
₹2 तथा ₹5	11,116 (17.2)	11,540 (16.6)	11,624 (15.8)	43 (0.5)	45 (0.4)	46 (0.4)
₹10	21,288 (33.0)	23,002 (33.2)	25,168 (34.2)	213 (2.3)	230 (2.2)	252 (2.2)
₹20	3,020 (4.7)	3,510 (5.1)	3,825 (5.2)	60 (0.7)	70 (0.7)	77 (0.6)
₹50	3196 (5.0)	3,488 (5.0)	3,461 (4.7)	160 (1.7)	174 (1.6)	173 (1.5)
₹100	14024 (21.7)	14,119 (20.3)	14,421 (19.6)	1,402 (15.0)	1,412 (13.4)	1,442 (12.4)
₹500	8,906 (13.8)	10,256 (14.8)	10,719 (14.6)	4,453 (47.6)	5,128 (48.7)	5,359 (46.0)
₹1,000	3027 (4.7)	3,469 (5.0)	4,299 (5.9)	3,027 (32.4)	3,469 (33.0)	4,299 (36.9)
कुल	**64,577**	**69,384**	**73,517**	**9,358**	**10,528**	**11,648**

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

सारणी VIII.2: संचलन में सिक्के
(मार्च के अंत में)

मूल्य वर्ग	मात्रा (मिलियन नगों में)			मूल्य (बिलियन ₹)		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
छोटा सिक्का*	54,797 (48.8)	14785 (18.9)	14788 (17.5)	15 (11.8)	7 (5.3)	7 (4.6)
₹ 1	32,675 (29.1)	34414 (44.1)	35884 (42.4)	33 (26.0)	34 (25.6)	36 (23.5)
₹ 2	15,342 (13.7)	18201 (23.3)	22113 (26.1)	31 (24.4)	36 (27.1)	44 (28.8)
₹ 5	9,070 (8.1)	9981 (12.8)	10675 (12.6)	45 (35.4)	50 (37.2)	53 (34.6)
₹ 10	300 (0.3)	648 (0.8)	1267 (1.5)	3 (2.4)	6 (4.8)	13 (8.5)
कुल	**1,12,184**	**78,029**	**84,727**	**127**	**133**	**153**

* 25 पैसे तथा उससे कम मूल्यवर्ग के सिक्के 30 जून 2011 से वैध मुद्रा नहीं है।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

सारणी VIII.3: दिसंबर 2012 के अंत की स्थिति के अनुसार करेंसी चेस्ट और छोटा सिक्का डिपो

श्रेणी	करेंसी चेस्टों की संख्या	छोटा सिक्का डिपो की संख्या
1	2	3
खजाना	11	0
भारतीय स्टेट बैंक	2,165	2,093
भा.स्टे. बैंक के सहयोगी बैंक	773	770
राष्ट्रीयकृत बैंक	1,136	1,004
निजी क्षेत्र के बैंक	117	114
सहकारी बैंक	1	1
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	3	3
विदेशी बैंक	5	5
कुल	**4,211**	**3,990**

जाता है। उप खजाना कार्यालय स्थित करेंसी चेस्टों को चरणबद्ध रूप से बंद किया जा रहा है और 31 दिसंबर 2012 की स्थिति के अनुसार उनकी संख्या 11 है। दिसंबर 2012 के अंत की स्थिति के अनुसार कुल करेंसी चेस्टों में भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों का लगभग 70 प्रतिशत का सर्वाधिक हिस्सा रहा, जबकि अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास 27 प्रतिशत का हिस्सा था (सारणी VIII.3)।

VIII.6 अप्रैल 2012 में घोषित 2012-13 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में यह घोषणा की गई कि बैंक नोटों और सिक्कों का वितरण केवल करेंसी चेस्टों/ बैंक शाखाओं के माध्यम से किया जाएगा ताकि ग्राहकों को संबंधित सेवाएं उनके आस-पास ही मिल सकें। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी वितरण प्रणालियों व प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करें ताकि जनसाधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

स्वच्छ नोट नीति

बैंक नोटों एवं सिक्कों की मांग के आदेश और प्रेस एवं टकसालों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को की गई आपूर्ति

VIII.7 वर्ष 2012-13 में मात्रानुसार प्रेस द्वारा की गई नोटों की कुल आपूर्ति में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी VIII.4)। इस अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में सिक्कों की आपूर्ति में 12.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई (सारणी VIII.5)।

सारणी VIII.4: बैंक नोटों की मांग एवं प्रेस द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को की गई आपूर्ति
(अप्रैल-मार्च)

मूल्यवर्ग	मात्रा (मिलियन नगों में)						
	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग
1	2	3	4	5	6	7	8
₹5	0	674	0	2	0	0	0
₹10	5,000	5,143	5,700	6,252	12,094	5,506	12,164
₹20	1,500	1,104	600	1,045	1,060	1,154	1,203
₹50	2,000	1,602	1,200	949	1,182	1,626	994
₹100	4,300	3,420	6,100	5,079	5,704	6,675	5,187
₹500	4,000	4,130	2,000	2,330	3,985	3,002	4,839
₹1000	1,000	467	2,000	1,927	746	1,141	975
कुल	**17,800**	**16,540**	**17,600**	**17,584**	**24,770**	**19,103**	**25,362**

VIII.8 प्रसंगवश यह उल्लेखनीय है कि सिक्कों की अनुपलब्धता या न्यून आपूर्ति को लेकर कई शिकायतें मिलती रही हैं। इस समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा जारी किए गए 19 दिसंबर 2011 के आदेश के अनुसरण में उप गवर्नर (डॉ. के.सी. चक्रवर्ती) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 14 अगस्त 2012 को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारत सरकार ने 31 जुलाई 2013 को भेजे गए अपने प्रत्युत्तर में रिज़र्व बैंक को सिक्कों के वितरण के संबंध में समुचित कार्रवाई करने को कहा है तथा यह सूचित किया कि टकसालों से संबंधित सिफारिशों की सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) के साथ परामर्श करके अलग से जांच की जा रही है।

सारणी VIII.5: सिक्कों की मांग एवं टकसालों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को की गई आपूर्ति (अप्रैल-मार्च)

मूल्यवर्ग	मात्रा (मिलियन नगों में)						
	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग
1	2	3	4	5	6	7	8
50 पैसे	70	59	70	107	50	6	50
₹1	2,600	2,746	1,600	1,480	4,177	1,572	5,418
₹2	1,700	1,811	2,900	3,343	2,741	3,742	3,546
₹5	1,300	1,292	800	761	1,586	615	1,819
₹10	1,000	232	1,000	403	1,000	943	1,200
कुल	**6,670**	**6,140**	**6,370**	**6,094**	**9,554**	**6,878**	**12,033**

सारणी VIII.6: गंदे बैंक नोटों का निपटान एवं रिज़र्व बैंक द्वारा करेंसी चेस्टों को की गई बैंक नोटों की आपूर्ति

मूल्यवर्ग	मात्रा (मिलियन नगों में)					
	2010-11		2011-12		2012-13	
	निपटान	आपूर्ति	निपटान	आपूर्ति	निपटान	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
₹ 1000	179	706	375	371	450	1536
₹ 500	1,864	4,347	1,994	5,560	2263	2725
₹ 100	5,227	4,085	5,577	1,091	5627	6348
₹ 50	2,095	1,114	1,578	1,522	1357	1257
₹ 20	664	1,296	562	4,237	609	904
₹ 10	3,657	5,580	3,584	3,379	3752	5991
₹ 5 तक	166	549	101	1,440	72	105
कुल	**13,852**	**17,677**	**13,772**	**17,600**	**14130**	**18866**

गंदे बैंक नोटों का निपटान

VIII.9 वर्ष 2012-13 के दौरान गंदे नोटों के लगभग 14.1 बिलियन नगों (संचलनरत बैंक नोटों का 20.4 प्रतिशत)[1] को प्रसंस्कृत कर संचलन से हटाया गया (सारणी VIII.6)। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष संचलन से हटाकर रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में निपटाए गए बैंक नोटों में 358 मिलियन नगों की बढ़ोतरी हुई। 2012-13 में 59 मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणाली (सीवीपीएस) के माध्यम से लगभग 8.97 बिलियन नगों का प्रसंस्करण किया गया और शेष नगों का निपटान अन्य तरीकों से किया गया।

संचलनरत बैंक नोटों की गुणवत्ता में सुधार लाने के उपाय

VIII.10 मुद्रा वितरण प्रणाली एवं प्रक्रिया पर गठित उच्च स्तरीय समूह द्वारा की गई सिफारिश के अनुपालन में बैंकों को यह निदेश दिया गया कि वे काउंटरों पर या एटीएम के माध्यम से ₹100 और उससे अधिक मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करने से पहले नोट अधिप्रमाणन एवं उपयुक्तता छंटाई के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप उक्त मूल्यवर्गों के बैंक नोटों का प्रसंस्करण नोट सॉर्टिंग मशीनों से करें। बैंकों को यह भी निदेश दिया गया कि वे प्रत्येक शाखा में इस सिफारिश का अनुपालन सुनिश्चित करें। 31 दिसंबर 2012 की स्थिति के अनुसार बैंकों ने 12,827 नोट सॉर्टिंग मशीनें संस्थापित कर ली हैं।

VIII.11 खंडित/ कटे-फटे बैंक नोटों के अधिनिर्णय तथा गंदे बैंक नोटों के बदले स्वच्छ एवं उच्च गुणवत्ता वाले बैंक नोटों व सिक्कों के विनिमय की सुविधा सभी बैंक शाखाओं, जिनमें सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं भी शामिल हैं, में उपलब्ध कराई गई है।

जाली बैंक नोट

VIII.12 वर्ष 2012-13 में कुल पकड़े गए जाली बैंक नोटों में बैंक शाखाओं द्वारा पकड़े गए जाली बैंक नोटों का हिस्सा 94 प्रतिशत था, जिससे नोट सॉर्टिंग मशीनों के बढ़ते प्रयोग का पता चलता है (सारणी VIII.7)। 2012-13 में रिज़र्व बैंक द्वारा शिनाख्त किए गए जाली नोटों में बैंकों द्वारा प्रेषित गंदे नोटों से पहचाने गए जाली

सारणी VIII 7: पता लगाए गए जाली नोट
(अप्रैल-मार्च)

(नगों की संख्या)

वर्ष	पता लगाए गए		कुल
	रिज़र्व बैंक में	अन्य बैंकों में	
1	2	3	4
2010-11	45,235 (10.4)	3,90,372 (89.6)	4.35,607
2011-12	37,690 (7.2)	4,83,465 (92.8)	5,21,155
2012-13	29,200 (5.9)	4,69,052 (94.1)	4,98,252

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल में से प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

[1] मार्च 2013 के अंत में

नोटों का हिस्सा लगभग 79 प्रतिशत (23,093 नग) रहा, जबकि रिज़र्व बैंक के काउंटरों पर प्रस्तुत किए गए नोटों का हिस्सा लगभग 21 प्रतिशत (6,107 नग) रहा।

VIII.13 पिछले वर्ष की तुलना में 2012-13 के दौरान पकड़े गए ₹1,000 मूल्यवर्ग के जाली नोटों में 18.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पकड़े गए ₹500 और ₹100 मूल्यवर्ग के जाली नोटों में क्रमशः 6.8 प्रतिशत और 12.3 प्रतिशत की कमी आई (सारणी VIII.8)।

VIII.14 बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे काउंटरों पर प्राप्त होने वाले नोटों को मशीनों के माध्यम से समुचित रूप से अधिप्रमाणित करने के बाद ही पुनः संचलन में शामिल करें। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि वे अपनी प्रणाली को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि जाली नोट पकड़े जाने की दशा में अनजाने में उन्हें अपने पास रखने वाले आम आदमी को ज़िम्मेदार ठहराने के बजाए वे स्वयं उसके जोखिम का वहन करें। बैंकों को यह बताया गया कि जाली नोटों की पहचान होने के बाद उन्हें जब्त न करने और तत्संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जाएगा कि वह जाली नोटों को संचलन में लाने का इच्छुक भागीदार है तथा इस हेतु उस बैंक के विरुद्ध दंडात्मक उपाय किए जाएंगे।

VIII.15 रिज़र्व बैंक ने इसके अलावा और भी कदम उठाए हैं, यथा- सुरक्षा विशेषताओं को सुदृढ़ बनाना, रिपोर्टिंग को युक्तियुक्त करना, बैक ऑफ़िस/ करेंसी चेस्टों में जाली नोटों की शिनाख्त और उनकी रिपोर्टिंग किए जाने पर बैंकों को क्षतिपूर्ति करने की योजना की शुरुआत करना, बैंकों व अन्य संगठनों को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा नोटों के यांत्रिक प्रसंस्करण में सुधार करना आदि। इन उपायों से जाली मुद्रा की समस्या को दूर करने में सहायता मिलेगी।

सिक्यूरिटी प्रिंटिंग और वितरण पर व्यय

VIII.16 वर्ष 2012-13 (जुलाई-जून) में सिक्यूरिटी प्रिंटिंग (नोट रूप में) पर ₹28.72 बिलियन का व्यय किया गया जबकि 2011-12 (जुलाई-जून) के दौरान इस पर ₹27.36 बिलियन का व्यय किया गया था। मुख्य रूप से 2012-13 में बैंक नोटों की आपूर्ति में हुई बढ़ोतरी के कारण पिछले वर्ष की तुलना में सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रभारों में ₹1.36 बिलियन (5.0 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज हुई। 2012-13 में खजाना प्रेषण पर ₹641 मिलियन का व्यय किया गया, जबकि 2011-12 (जुलाई-जून) के दौरान इस पर ₹528 मिलियन का व्यय किया गया था।

भावी कार्य-योजना

(i) रिटेल कार्य की समाप्ति

VIII.17 ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो केंद्रीय बैंक निगरानी संबंधित कारणों से रिटेल नकदी सेवा प्रदान करते रहे हैं। सामान्य प्रवृत्ति है कि यह कार्य वाणिज्यिक बैंकों को सौंप दिया जाए, क्योंकि उनके व्यापक नेटवर्क और उनकी मौजूदगी के कारण वे यह सेवा अपेक्षाकृत और प्रभावी रूप से तथा ग्राहकों के नज़दीकी स्थान पर दे पाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि रिज़र्व बैंक यह रिटेल कार्य बंद कर देगा तथा करेंसी चेस्टों व बैंक शाखाओं के माध्यम से बैंक नोटों व सिक्कों के वितरण का प्रबंधन कार्य जारी रखेगा। इस प्रकार रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना में यथा-विनिर्दिष्ट प्रमुख कार्य करना जारी रखेगा। रिज़र्व बैंक जनसाधारण की वास्तविक मांग की पूर्ति हेतु स्वच्छ नोटों व सिक्कों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य के प्रति वचनबद्ध है।

सारणी VIII.8: बैंकिंग प्रणाली द्वारा पता लगाए गए जाली नोट - मूल्यवर्ग-वार

(अप्रैल-मार्च)

(नगों की संख्या)

वर्ष	₹2	₹5	₹10	₹20	₹50	₹100	₹500	₹1000	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010-11	-	-	139	126	10,962	1,24,219	2,46,049	54,112	4,35,607
2011-12	-	-	126	216	12,457	1,23,398	3,01,678	83,280	5,21,155
2012-13	1	1	321	221	9,759	1,08,225	2,81,265	98,459	4,98,252

(ii) सीवीपीएस और एसबीएस की क्षमता का बढ़ाया जाना

VIII.18 स्वच्छ नोट नीति के उद्देश्यों को पूरा करने और बैंक नोटों के औसत जीवन-चक्र को बनाए रखने की दृष्टि से 2012-13 से 2014-15 की अवधि में मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणाली (सीवीपीएस) के माध्यम से गंदे नोटों की प्रसंस्करण-क्षमता को बढ़ाने हेतु रूपरेखा तैयार की गई है। रिज़र्व बैंक कार्यालयों में स्थित 59 सीवीपीएस में एक वर्ष में 7.5 बिलियन नगों का प्रसंस्करण करने की क्षमता है। इनमें से 39 सीवीपीएस की प्रसंस्करण-गति 30 नोट प्रति सेकंड है। अन्य 20 मशीनों की क्षमता को 20 नोट प्रति सेकंड से अपग्रेड करके 30 नोट प्रति सेकंड किया जा रहा है।

VIII.19 रिज़र्व बैंक में 28 श्रेडिंग एवं ब्रिकेटिंग प्रणाली (एसबीएस) मशीनें भी हैं। इनमें से 5 मशीनों की क्षमता बढ़ा दी गई है और आगामी 12 से 15 महीने में अन्य 13 मशीनों को अपग्रेड/ ओवरहॉल किया जाएगा।

(iii) ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में करेंसी चेस्टों की स्थापना को बढ़ावा देना

VIII.20 रिज़र्व बैंक के आउटरीच और वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों ने ग्रामीण जनता के बीच स्वच्छ नोट नीति के प्रति जागरूकता पैदा की है तथा ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में नोटों व सिक्कों की आपूर्ति सुनिश्चित करना ज़रूरी है। यह प्रस्ताव किया गया है कि इन क्षेत्रों के साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में करेंसी चेस्ट की स्थापना को और बढ़ावा दिया जाए।

(iv) बैंक नोटों एवं सिक्कों का वितरण - वैकल्पिक उपाय

VIII.21 बैंक नोटों एवं सिक्कों के वितरण के वैकल्पिक उपायों का पता लगाना ज़रूरी है। मई 2013 में घोषित मौद्रिक नीति वक्तव्य 2013-14 में यह बताया गया कि बैंकों को कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) के माध्यम से ये सेवाएं प्रदान करने पर विचार करना चाहिए और कैश-इन-ट्रैन्सिट (सीआईटी) कंपनियों का उपयोग करना चाहिए। इससे अंतिम चरण की समस्या को दूर किया जा सकेगा।

(v) जिला स्तर पर मुद्रा वितरण पद्धति में सुधार लाना - अग्रणी बैंकों की पहचान

VIII.22 बैंक नोटों और सिक्कों के वितरण में बैंकों की अग्रणी भूमिका सुनिश्चित करने तथा महानगरीय व शहरी क्षेत्रों से इतर स्थानों में भी उनकी अनवरत आपूर्ति को सुसाध्य बनाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने अग्रणी बैंक योजना के अनुरूप एक ऐसी योजना बनाई है जिसके अंतर्गत मुद्रा प्रबंधन के प्रयोजन हेतु प्रत्येक बैंक को प्रायोगिक तौर पर विभिन्न क्षेत्र (ज़िले/ राज्य) आबंटित किए जाएंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रा प्रबंधन (बीसीएम) हेतु नोडल बैंक की पहचान करेगा, जो निर्धारित क्षेत्र में स्थित करेंसी चेस्टों एवं छोटे सिक्का डिपो के साथ उचित समन्वय स्थापित कर जनसाधारण की स्वच्छ नोटों और सिक्कों की वास्तविक मांग की समुचित रूप से पूर्ति करने के लिए ज़िम्मेदार होगा।

VIII.23 मुद्रा प्रबंधन रिज़र्व बैंक के कार्यों में से एक ऐसा कार्य है जो उसे आम आदमी से रू-ब-रू होने का अवसर देता है। रिज़र्व बैंक इस कार्य को कारगर ढंग से पूरा करने का प्रयास करता रहा है ताकि हमारे देश के कोने-कोने तक मुद्रा के विभिन्न मूल्यवर्गों की वास्तविक मांग की पूर्ति की जा सके, नोटों को समुचित रूप से स्वच्छ रखा जा सके तथा बैंक नोटों की जालसाजी को रोकने हेतु सुरक्षा विशेषताओं को बनाए रखा जा सके। इस दिशा में रिज़र्व बैंक के प्रयास जारी रहेंगे।